(108)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1223–दो/2017 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2017– पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 159/15716 अपील

1– भगवतप्रसाद पुत्र स्व.माधौराम
जगदीश पुत्र माधौराम मृत वारिस
अ– श्रीमती लीलादेवी पत्नि स्व. जगदीश
ब– संजीव स– राजीव द– आकाश
पुत्रगण स्व. जगदीश
क– सुश्री कुसुम पुत्री स्व. जगदीश
सभी ग्राम रामपुर कलॉ तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– केदारनाथ
बाबूलाल मृत वारिस
अ– श्रीमती राधादेवी पत्नि स्व.बाबूलाल
ब– सुनीलकुमार स– नीलकमल
पुत्रगण स्व. बाबूलाल सभी निवासी
ग्राम रामपुर कलॉ तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 18– 7– 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरेना के प्रकरण कमांक 159/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–3–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार सवलगढ़ के

समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम रामपुरकलॉ की कुल किता 42 कुल रकबा 53 वीघा 4 विसवा के भूमिस्वामी स्वर्गीय माधौसिंह थे जिनके चार पुत्र कमशः भगवंत, जगदीश, केदार, बाबूलाल थे। स्वर्गीय माधौसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पुत्रों के नाम कर दी थी। ए.डी.जी. कोर्ट से हुये एकपक्षीय आदेश के आधार पर अनावेदकों ने नामान्तरण करा लिया, जिसे हटाने के लिये तहसीलदार सवलगढ़ को आवेदन दिया गया। तहसीलदर सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 45/09–10 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 12–9–14 से गलत आधारों पर आवेदकगण का दावा निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील की गई , किन्तु अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्र.क. 28/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–1–16 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के आदेश दिनांक 6–1–16 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अपील की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरेना ने प्रकरण कमांक 159/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–3–17 से अपील निरस्त करने में त्रृटि की गई है जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा निगरानीकर्ता के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा निगरानीकर्ता के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि वादोक्त भूमि पर स्वयं् का हिस्सा बताते हुये अनावेक 3,4 ने व्यवहार न्यायालय में वाद कमांक 113 ए/2003 ई.दी. प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 2974–2004 से निरस्त हुआ। इस आदेश की अपील अपर सत्र न्यायाधीश सवलगढ़ में हुई जो प्रकरण कमांक 72/2005 पर दर्ज होकर एकपक्षीय करते

हुये दावा डिक्री कर दिया गया, जिसके आधार पर सुनील कुमार एंव नीलकमल ने नामांत्रण करा लिया। इस एकपक्षीय डिक्री के अपास्त करने हेतु आवेदकगण नें कार्यवाही की, जिस पर प्रकरण में पुनः सुनवाई हुई और अपर सत्र न्यायाधीश सवलगढ़ ने अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के क्रम में अपर सत्र न्यायाधीश सवलगढ़ के प्रकरण क्रमांक 72/2005 में हुई एकपक्षीय डिक्री के आधार पर सुनील कुमार एंव नीलकमल के हुये नामांत्रण को दुरूस्त करने का आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार ने निरस्त करने में त्रृटि की है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने आदेश दिनांक 6-1-16 पारित करते समय ध्यान नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरेना के प्रकरण क्रमांक 159/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-17 के अवलोकन पर पाया गया कि विद्वान अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30-3-17 में निम्नानुसार व्यवस्था आवेदकगण के हित में दी है :-

- कुल मिलाकर स्थिति यही है कि अपीलांट ने तहसील में स्पीकिंग एप्लीकेशन तैयार कर समस्त दस्तावेज संलग्न कर स्पष्ट आवेदन नहीं लगाया, इसलिये अपीलांट क्या चाहता है उसे उसकी त्रृटि के कारण न्याय नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत् रखे जाते हैं लेकिन अपीलांट कोई आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है तो तथ्यात्मक तथा स्पीकिंग आवेदन के साथ मय दस्तावेजों के तहसील न्यायालय में आवेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। *

अपर आयुक्त का उक्तानुसार निर्णय दोषपूर्ण है क्योंकि तहसीलदार का आदेश दिनांक 12-9-14 एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 6-1-16 जीवित रहते हुये तथा स्वयं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30-3-17 जीवित रहते हुये Res-Judicata लागू रहेगा, जिसके कारण नवीन आवेदन एंव उसी विषयवस्तु पर तहसीलदार दुवारा सुनवाई नहीं कर सकेंगे जिसके कारण

आवेदकगण वास्तविक न्याय से बंचित हो जावेंगे। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरेना के आदेश दिनांक 30–3–17 के अनुसार प्रकरण में पुर्नसुनवाई आवश्यक है, जिसके कारण तहसीलदार का आदेश दिनांक 12–9–14, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 6–1–16 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30–3–17 न्याय की मंशा की पूर्ति नहीं करते हैं ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रख जाने योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिकरूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरेना व्दारा प्रकरण कमांक 159/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–3–17, अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा प्र.क. 28/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–1–16 तथा तहसीलदर सवलगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 45/09–10 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 12–9–14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार सवलगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर